प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. **महानिदेशक**
   परिवार कल्याण, उ0प्र0।
2. **महानिदेशक**
   चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
3. **महानिदेशक**
   चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तरांचल राज्य देहरादून।
4. **निदेशक,** रूरल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एण्ड रिसर्च, सैफई, इटावा।
5. **निदेशक,** संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।
6. **निदेशक,** मेडिकल यूनिवर्सिटी एण्ड एसोसिएट हास्पिटल ग्रेटर नोएडा
7. **मिशन निदेशक,** एन0आर0एच0एम0 उत्तर प्रदेश ।
8. **प्रबन्ध निदेशक,** यू0पी0एच0एस0एस0पी0 उत्तर प्रदेश।
9. **समस्त निदेशक/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक**
   जिला/ मण्डलीय/अन्य चिकित्सालय उ0प्र0।
10. **अपर निदेशक(प्रशासन),** स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
11. **समस्त मण्डलीय अपर निदेशक**
    चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
12. **अपर निदेशक**
    मलेरिया, जवाहर भवन लखनऊ एवं राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ।
13. **महानिरीक्षक,** मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।
14. **समस्त प्रधानाचार्य**
    राजकीय मेडिकल कालेज,(एलोपैथी) उ0प्र0।
15. **समस्त प्रधानाचार्य,**
    संभागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रशिक्षण केन्द्र, उ0प्र0।
16. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,** उ0प्र0।
17. **समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ अधीक्षिका**
    जिला चिकित्सालय(पुरूष/महिला), उ0प्र0।
18. **समस्त कारागार अधीक्षक,** उ0प्र0।
19. **समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम,** उ0प्र0।
20. **समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद,** उ0प्र0।

पत्रांक :- गोपन/वरि0निर्धा0/2017/ **लखनऊ, दिनांक- 21 /सितम्बर/2017.**

विषय :- प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत वर्ष 2014 तक नवनियुक्त या इससे पूर्व के वरिष्ठता आवंटन से छूटे हुये चिकित्साधिकारियों के वांछित अभिलेखों/ सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1059/पांच-8-17-02(वरिष्ठता)/ 2014, दिनांक-27.04.2017 में उत्तर प्रदेश प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी के पदों पर मौलिक रूप से वर्ष 2014 तक नवनियुक्त या इससे पूर्व के नियुक्त तथा वरिष्ठता आवंटन से छूटे हुये 258 चिकित्साधिकारियों की अनन्तिम वरिष्ठता सूची शासन द्वारा निर्गत की गयी थी। अनन्तिम वरिष्ठता सूची में अंकित 258 चिकित्साधिकारियों को दिनांक-05.06.2003 की वरिष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

क्रमश :........02

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के 258 चिकित्साधिकारियों की शासन द्वारा उक्त जारी तथा आपको परिचालित संगत अंतिम वरिष्ठता सूची के अतिरिक्त, वर्ष 2015 तक नवनियुक्त या इससे पूर्व के नियुक्त एवं आपके अधीन कार्यरत वरिष्ठता क्रमांक आवंटन से यदि अब भी कोई चिकित्साधिकारी वंचित है, तो उसके सम्बन्धित 05 अभिलेख (1-लोकसेवा आयोग से चयनोपरांत प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रति, जिस पृष्ठ पर चिकित्साधिकारी का नाम अंकित हों, की प्रमाणित छायाप्रति, 2-प्रथम नियुक्ति आदेश पर कार्यभार ग्रहण प्रभार प्रमाण पत्र, 3-हाईस्कूल प्रमाण पत्र, 4-सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ (जिसमें नाम, पिता का नाम आदि विवरण अंकित हो), द्वितीय पृष्ठ (जिसमें प्रथम वेतन आहरण दिनांक अंकित हो), 5-यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो जाति प्रमाण पत्र) संकलित रूप से महानिदेशालय के गोपन प्रकोष्ठ में दिनांक-03.10.2017 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यहाँ यह भी उल्लेख करना है कि यदि कोई चिकित्साधिकारी वरिष्ठता आवंटन से वंचित रह जाता है एवं उसके द्वारा वरिष्ठता क्रमांक आवंटन न होने के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय वाद योजित किया जाता है, तो उसका सम्पूर्ण उत्तरादायित्व नियंत्रक अधिकारी का होगा।

भवदीय

(डा0 पूजा पाण्डेय)
निदेशक (प्रशासन)

पत्रांक :- गोपन/वरि0निर्धा0/2017/ 1060 **तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि प्रभारी कम्प्यूटर इंचार्ज, स्वास्थ्य भवन लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित समस्त परिधिगत अधिकारियों को उनके कार्यालय के ई-मेल पतों पर तथा विभागीय वेबसाईट **www.uphealth.up.nic.in** पर आज ही अपलोड कराने का कष्ट करें एवं प्राप्ति रसीद/सूचना गोपन अनुभाग को उपलब्ध करा दी जाये।

21.9.17

संयुक्त निदेशक (गोपन)